अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - पीएसीएल लि. के मामले में

पृष्ठभूमि:

1. पीएसीएल लि. (पीएसीएल) का यह दावा था कि उसने विभिन्न सामूहिक निवेश स्कीमों (सीआईएस) के जरिए लगभग 49,000 करोड़ रुपये की रकम जुटाई । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तारीख 22 अगस्त, 2014 के आदेश के माध्यम से यह कहा कि पीएसीएल की स्कीमें सामूहिक निवेश स्कीमों (सीआईएस) जैसी हैं और, अन्य बातों के साथ-साथ, पीएसीएल को यह निदेश दिया कि वह जुटाया गया पैसा, अपने ग्राहकों को देय प्रतिफलों (रिटर्न) सहित, प्रस्ताव (ऑफर) की शर्तों के अनुसार, तीन महीनों की अवधि के भीतर लौटाए ।

2. पीएसीएल तथा उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / निदेशकों (डायरेक्टर्स) ने माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के समक्ष अपील की । माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने उनकी अपीलें खारिज कर दीं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को मान्य ठहराया । तारीख 14 अगस्त, 2015 के आदेश से असंतुष्ट होकर, माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं ।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पीएसीएल लि. बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिविल अपील सं. 13394/2015) के मामले में तथा अन्य संबंधित मामलों में, अपने तारीख 2 फरवरी, 2016 के आदेश के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री आर.एम. लोढा (भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उस समिति को शक्ति प्रदान की, जिसके अनुसार वह पीएसीएल के हक-विलेखों (टाइटल डीड्स) को अपने कब्जे में ले सकती है, और संपत्तियों की बिक्री कर सकती है, ताकि पीएसीएल के ग्राहकों को पैसा लौटाया जा सके ।

4. तदनुसार, यह समिति पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राप्त करने में जुटी हुई है, ताकि संपत्तियों की बिक्री आदि (के डिस्पोज़ ऑफ) करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके और पीएसीएल के उन ग्राहकों को (उनकी वास्तविकता को जाँचने के पश्चात्) पैसा लौटाया (रिफंड किया) जा सके, जिन्होंने पीएसीएल

लि. की भिन्न-भिन्न स्कीमों में निवेश किया हुआ है । इस दौरान, सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) के जरिए पीएसीएल के ग्राहकों से यह कहा गया है कि वे :

(i) पीएसीएल लि. की स्कीमों में किए गए अपने निवेशों से संबंधित रिकॉर्ड / दस्तावेज तब तक पीएसीएल लि. या किसी अन्य व्यक्ति को न दें और न ही उनके साथ उन्हें साझा करें, जब तक समिति द्वारा इस संबंध में आगे कोई सूचना न दी जाए; और

(ii) पीएसीएल लि. में कोई नया निवेश न करें और साथ ही पीएसीएल लि. या उसके अधिकारियों / एजेंटों आदि को किसी किस्त का या अन्य कोई भुगतान न करें ।

1. मैं पीएसीएल का ग्राहक हूँ । मैं क्या करूँ?

उत्तर. तारीख 05.03.2016 की सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) के माध्यम से, पीएसीएल के ग्राहकों को आगाह किया गया है कि वे मूल दस्तावेज अपने पास ही रखें । ये दस्तावेज इस प्रकार गठित समिति या नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण / प्राधिकारी के पास तभी प्रस्तुत किए जाएँ, जब समिति द्वारा पीएसीएल के ग्राहकों से दावे मंगवाने के संबंध में विशेष सूचना जारी की जाए । धन-वापसी (रिफंड) का दावा करने के लिए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जरूरी है, जिनके बिना धन-वापसी (रिफंड) के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2. मैं धन-वापसी (रिफंड) हेतु अपना आवेदन कहाँ भेजूँ?

उत्तर. इसकी सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) / समिति द्वारा पीएसीएल के ग्राहकों से दावा / दावे मंगवाने हेतु जारी किए गए विज्ञापन / जारी की गई सार्वजनिक सूचना आदि के माध्यम से पीएसीएल के ग्राहकों को दे दी जाएगी । जब तक ऐसा विज्ञापन / ऐसी सार्वजनिक सूचना जारी न कर दी जाए, तब तक ग्राहक सभी मूल दस्तावेज अपने पास ही रखें और उन्हें किसी भी व्यक्ति, एजेंट आदि के साथ साझा न करें, या उन्हें अंतरित (ट्रांसफर) न करें, या उन्हें न सौंपे ।

3. मैं धन-वापसी (रिफंड) हेतु अपना आवेदन कब और कहाँ भेजूँ?

उत्तर. विशेष सूचना जारी होने के बाद ही, धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन (अपेक्षित दस्तावेजों सहित) उस पते पर / उस प्राधिकरण/प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किए जाएँ, जिसका उल्लेख विज्ञापन / सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) में किया जाए ।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पीएसीएल लि. के ग्राहकों से दावे कब मंगवाएगा?

उत्तर. पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री (को डिस्पोज़ ऑफ) करने और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बाद ही धन-वापसी (रिफंड) हेतु पीएसीएल के ग्राहकों से दावे मंगवाए जाएँगे । समिति ग्राहकों से निर्धारित फार्मेट में धन-वापसी हेतु आवेदन मंगवाएगी ।

5. मेरी स्कीम की परिपक्वता (मैच्यूरिटि) की तारीख पहले ही निकल चुकी है और पीएसीएल के एजेंट मेरे निवेश के संबंध में दूसरे लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) / दूसरी स्कीमों की पेशकश कर रहे हैं । कृपया बताएँ कि ऐसे में मैं क्या करूँ?

उत्तर. आप मूल दस्तावेज अपने पास ही रखें तथा धन-वापसी (रिफंड) हेतु मांगे जाने पर ही उन्हें प्रस्तुत करें । आप मौजूदा निवेशों को पीएसीएल की किन्हीं दूसरी स्कीमों (यदि कोई हों) में परिवर्तित (कनवर्ट) करने या उनमें लगाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति (पीएसीएल या उसके एजेंटों सहित) के किसी भी प्रकार के दबाव में न आएँ । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से समिति को यह जिम्मा सौंपा है कि वह पीएसीएल की संपत्तियों को बेचकर पीएसीएल लि. के वास्तविक निवेशकों को धन-वापसी (रिफंड) करे । उक्त निदेश से विचलित करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी प्रयास माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और इसीलिए ऐसा करना अनुचित है ।

6. कृपया बताएँ कि इस दौरान मैं क्या करूँ?

उत्तर. आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) / समिति द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति / जारी किए जाने वाले विज्ञापन आदि के लिए अखबार (समाचार पत्र) आदि देखते रहें । आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का वेबसाइट (www.sebi.gov.in) भी देखते रहें या फिर आप हमारी निःशुल्क दूरभाष सेवा सं. (टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर) - 1800 266 7575 या 1800 22 7575 पर भी संपर्क कर सकते हैं ।

****